संख्या:45/2023/1574ई-2/तेरह-2023-1759406

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 22 नवम्बर, 2023

विषय:-**मेसर्स डोपामिन फूड एण्ड ब्रेवरेजेस प्रा.लि., गाटा संख्या 4526-4635, इच्छा खेड़ा मार्ग, अब्बासनगर रोड, कटरा नगरम, लखनऊ को 5,04,000 लीटर वार्षिक क्षमता की वाइन उत्पादन हेतु द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-106/दो-प्रा.डी.-275/डोपामिन, दिनांक 31-10-2023 एवं पत्र संख्या:जी-108/दो-प्रा.डी.-275/डोपामिन, दिनांक 10-11-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31-10-2023 एवं 10-11-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स डोपामिन फूड एण्ड ब्रेवरेजेस प्रा.लि., गाटा संख्या 4526-4635, इच्छा खेड़ा मार्ग, अब्बासनगर रोड, कटरा नगरम, लखनऊ को उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 के क्रम में 1440 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 5,04,000 (पॉच लाख चार हजार) लीटर वार्षिक क्षमता की द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 में उल्लिखित शर्तें।

(2) समय-समय पर शासन द्वारा आबकारी नीति में निर्धारित निर्देश।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत कन्सेन्ट टू इस्टेब्लिश दिनांक 14-08-2023 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(4) इकाई को अग्निशमन विभाग से प्राप्त औपबन्धिक प्रमाण पत्र दिनांक 14-07-2023 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(5) इकाई द्वारा नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) इकाई द्वारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अग्रतर कार्यवाही से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर कोई राजस्व बकाया न हो।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।